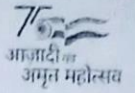




कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

एम.बी.एस. मार्ग, कबीर सर्किल के पास, कोटा (राज0)



क्रमांक एफ-5()शैक्ष./कोविको/2021/

दिनांक :

प्राचार्य/सचिव,
समस्त सम्बद्ध निजी महाविद्यालय,
(डिग्री एवं पी.जी. पाठ्यक्रम)
कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।

अति आवश्यक/द्वारा-ईमेल

विषय :-स्कॉलरशिप पोर्टल सत्र 2021-22 का अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से अपलोड करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 2572 दिनांक 03.11.2021 द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिये उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन विभिन्न श्रेणियों के छात्र-छात्राओं के लिये प्रारम्भ किये गये है। उत्तर मैट्रिक ऑनलाईन छात्रवृत्ति के लिए संबंधित महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्राप्त करते हुए ऑनलाईन स्कॉलरशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है।

अतः समस्त निजी महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि स्कॉलरशिप पोर्टल पर महाविद्यालय द्वारा राज्य सरकार द्वारा सत्र 2021-22 के लिए जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से अपलोड किया जावे, अन्यथा कोर्स मैपिंग/प्रोफाइल अनुमोदन विश्वविद्यालय द्वारा सम्पन्न नहीं की जावेगी, ऐसी स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में यदि किसी छात्र-छात्रा को स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं होती है तथा छात्रहित प्रभावित होता है तो इसके लिए सीधे तौर पर संबंधित महाविद्यालय ही जिम्मेदार रहेंगे।

(डॉ० आर.के. उपाध्याय)
कुलसचिव

क्रमांक एफ-5()शैक्ष./कोविको/2021/22-14

दिनांक 24-11-21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा को माननीय कुलपति महोदया के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित है।
2. वेब मास्टर, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
3. रक्षित पत्रावली।

(डॉ० आर.के. उपाध्याय)
कुलसचिव